सोचें

SGS सत्यनिष्ठा संहिता के बारे में

प्रिय साथियों,

सत्यनिष्ठा SGS के केन्द्र में है। हम अपने ग्राहकों और स्टेकहोल्डरों में जो विश्वास करते हैं वह संगठन के रूप में और व्यक्ति के रूप में हमारी सफलता की कुंजी है।

अपने उद्योग में अग्रणी होने के नाते, हम स्वयं को पेशेवर व्यवहार के उच्चतम मानकों पर बनाए रखते हैं। हमारी सत्यनिष्ठा संहिता मूल्यों की अभिव्यक्ति है जो पूरे SGS में, इसके विभिन्न कारोबारों में और संबंधित कंपनियों (एफिलिएट्स) में व्याप्त हैं।

अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए, हम ऐसे कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और अपने साथ बरकरार रखना चाहते हैं जो अपना कार्य नेतृत्व, निष्पक्षता और ईमानदारी से करना चाहते हैं। हम इस बात को मान्यता देते हैं कि हमारे एक-दूसरे के प्रति और हमारे ग्राहकों के प्रति अपने सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों बरकरार रखने के दायित्व हैं।

हम SGS ब्रांड और इसकी प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं और हम इनके द्वारा बाजार में प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मूल्यों की सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हम अपने कारोबार को ईमानदारी और पारदर्शिता से करके यह उद्देश्य हासिल करते हैं। इस प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, हम एक खुली संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं जहां हम विचारों और जानकारी का आदान-प्रदान कर सकें, बदले की भावना की चिंता किए बिना सलाह प्राप्त कर सकें और अपने सरोकार बढ़ा सकें।

इससे हमें उन बाजारों में अपने ग्राहकों के हितों को पूरा करने के अवसर मिलेंगे जहां हम कार्य करते हैं, और इससे हम अपने कर्मचारियों को अवसर प्रदान कर सकेंगे और अपने शेयरधारकों के लिए निरंतर वित्तीय रिटर्न सृजित कर पाएंगे।

Calvin Grieder
Chairman of the Board

Frankie Ng
Chief Executive Officer

SGS दुनिया की अग्रणी निरीक्षण, सत्यापन, जांच और प्रमाणन कंपनी है। खरीददारों और विक्रेताओं की आनाज की खेपों की किसी स्वतंत्र, ईमानदार और विश्वसनीय थर्ड पार्टी द्वारा सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता पूरी करने के लिए वर्ष 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। आज, जब SGS विकसित हो चुकी है और विशेषज्ञता के नए क्षेत्रों में कदम रख चुकी है, इसका निष्पक्ष और पेशेवर थर्ड पार्टी की भूमिका निभाना जारी है जिस पर व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक और सरकार समान ढंग से विश्वास कर सकते हैं।

SGS की सफलता इसकी दिनोंदिन अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों और जहां यह कार्य करती है उस समुदाय से अर्जित होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है।

यह विश्वास SGS के कर्मचारियों के पीढ़ियों के सामूहिक प्रयासों द्वारा अर्जित किया गया है। SGS इस सत्यनिष्ठा संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन से इस विश्वास को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

संहिता का लागू होना

यह संहिता SGS के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और निदेशकों और इसकी संबद्ध कंपनियों के लिए लागू होती है। संहिता के सभी पहलू, जो SGS के कर्मचारियों से विशिष्ट ढंग से संबंधित नहीं हैं, का SGS के सभी ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, फ्रीलांसरों, संयुक्त-उद्यम साझेदारों, एजेंटों, उपठेकेदारों और SGS की ओर से काम करने वाले अथवा इसका प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

संहिता को समझना

SGS के प्रत्येक कर्मचारी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह इस संहिता को पढ़े और समझे तथा इसके सिद्धांतों को बरकरार रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहे। कर्मचारियों को आवधिक SGS सत्यनिष्ठा प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट की भूमिका में काम करने वाले कर्मचारियों को भी यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको रिपोर्ट करने वाले अन्य सभी कर्मचारी भी उचित ढंग से प्रशिक्षित हों, संहिता को पूरी तरह से समझते हों और इसका पालन करने में सक्षम हों।

मार्गदर्शन प्राप्त करना

SGS ऐसी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध है जहां सत्यनिष्ठा और पेशेवर नीति से जुड़े मुद्दों को खुले तौर पर उठाया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है। कर्मचारियों की संहिता समझने में मदद करने और किसी नीति संबंधी उलझन का सामना होने पर सही निर्णय लेने में मदद के लिए मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध है।

नेकनीयती से दी गई सूचनाओं के लिए बदले की भावना से कोई कार्रवाई न किया जाना

कर्मचारियों को संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी भी सरोकार अथवा संदेह के बारे में बोलने और उसकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। SGS सुनिश्चित करता है कि संहिता के उल्लंघन पर सलाह मांगने अथवा उसकी सूचना देने के लिए किसी के साथ किसी भी रूप में बदले की भावना से कार्रवाई न की जाए अथवा उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि नेकनीयती से उल्लंघन की सूचना देने वाले कर्मचारी के विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई होने पर ऐसी कार्रवाई करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सत्यनिष्ठा की संस्कृति

SGS के सत्यनिष्ठा सिद्धांत

- विश्वास: यह हमारी सर्वाधिक मूल्यवान परिसंपत्ति है और हमारे ब्रांड एवं प्रतिष्ठा का आधार है। ग्राहक हमारी सत्यनिष्ठा पर विश्वास करते हैं और इस विश्वास को दिनोंदिन पोषित करने और इसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। यह क्षणभर में जोखिम में पड़ सकता है।
- ईमानदारी और पारदर्शिता: हम जो भी करते हैं उन सभी में हमें स्वयं के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति और अपने सहकर्मियों के प्रति वफादार होने की आवश्यकता होती है। कोई भी परिस्थिति झूठ, धोखे अथवा ईमानदारी की कमी को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती।
- जवाबदेही: हमारे प्रत्येक कार्य और चूकों के प्रभाव होते हैं। हम अपनी पसंद की वजह से पड़ने वाले प्रभावों को स्वीकार करते हैं और अपने कृत्यों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते।
- सिद्धांत: हम नीति के अनुसार, निष्पक्षता से और अन्य लोगों का सम्मान करते हुए कार्य करने में विश्वास करते हैं। हमारे निर्णय अच्छे व्यवहार के सिद्धांतों और मानकों द्वारा निर्देशित होंगे, न कि मनमर्जी अथवा व्यक्तिगत पसंदों के अनुसार।

सही प्रश्न स्वयं से पूछें

- किसी विशिष्ट कार्य के अवैध अथवा अनैतिक होने का क्या मुझे संदेह है?
- यदि यह निर्णय समाचार-पत्र में प्रकाशित हो अथवा मैं इसके बारे में मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बात करनी हो तो कैसा लगेगा?
- क्या प्रस्तावित क्रिया-विधि में झूठ अथवा बेइमानी है?
- क्या प्रस्तावित क्रिया-विधि से अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है?
- क्या प्रस्तावित क्रिया-विधि से SGS अथवा इसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है?
- क्या लेनदेन का कोई वैध व्यवसायी उद्देश्य था?

यदि प्रस्तावित क्रिया-विधि इनमें से किसी भी जांच में विफल होती है, तो आपको सलाह लेकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उल्लंघन के लिए कोई उदारता नहीं

संहिता का कोई भी उल्लंघन, चाहे कितना भी छोटा हो, जिससे SGS की प्रतिष्ठा और ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता हो, सहन नहीं किया जाएगा। संहिता के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें गंभीर उल्लंघनों के लिए नौकरी से बर्खास्तगी और आपराधिक मुकद्मा चलाया जाना शामिल हैं।

सलाह प्राप्त करना अथवा कोई सरोकार उठाना

संहिता के अर्थ अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में इसके प्रयोग के संबंध में कोई भी संदेह होने पर कर्मचारियों को अपने पर्यवेक्षक अथवा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग अथवा SGS के विधिक विभाग से इस पर चर्चा करनी चाहिए। SGS के कानूनी संसाधनों का संपर्क विवरण इंटरनेट से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी इस संहिता से संबंधित किसी भी मामले पर आंतरिक लेखापरीक्षकों से भी चर्चा कर सकते हैं।

यदि किसी कर्मचारी के लिए अपने लाइन मैनेजमेंट के साथ किसी सरोकार का निराकरण करना संभव अथवा उचित न हो तो, SGS के चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। कर्मचारियों को किसी उल्लंघन अथवा संदिग्ध उल्लंघन का पता चलने पर उन्हें SGS के चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर को इसकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सत्यनिष्ठा संहिता से संबंधित मामलों में SGS के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, ग्राहक अथवा आपूर्तिकर्ता अथवा थर्ड पार्टी इनमें से किसी भी ढंग से SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं:

- डाक द्वारा: SGS SA / to the Attention of the SGS Chief Compliance Officer / 1 place des Alpes, P.O. Box 2152, CH – 1211 Geneva 1
- integrityhelpline.sgs.com
- फोन अथवा फैक्स:
  +41 (0)22 739 91 00
  +41 (0)22 739 98 81 (फोन का उत्तर जिनेवा में कार्यसमय के दौरान दिया जाता है)
- SGS सत्यनिष्ठा हेल्पलाइन: +1 800 461-9330 (टोल फ्री नंबर/ लाइन प्रतिदिन 24 घंटे खुली रहती है)

SGS सत्यनिष्ठा हेल्पलाइन एक निष्पक्ष सर्विस प्रोवाईडर द्वारा संचालित की जाती है जो अनुपालन और नीति से संबंधित सरोकारों को संभालने में विशेषज्ञ होती है। अधिकांश मामलों में, SGS सत्यनिष्ठा हेल्पलाइन को फोन करने वाला व्यक्ति ऑपरेटर से बात कर पाता है और उसे उसकी भाषा में फीडबैक मिलता है। सत्यनिष्ठा हेल्पलाइन के साथ किया गया वार्तालाप (संचार) गोपनीय रखा जाता है और SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर को सूचित किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने वाले का नाम गुमनाम रखकर उसका बचाव करता है।

सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर, मानव संसाधन प्रबंधक, आंतरिक लेखापरीक्षक अथवा SGS के आंतरिक वकील (इन-हाउस लॉयर) से संपर्क करने पर, प्रदान की गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है और उसका इस्तेमाल केवल उठाए गए मुद्दे के प्रति प्रतिक्रिया देने अथवा उसका निराकरण करने के लिए किया जाता है। सूचना देने वाले वाले व्यक्तियों से नाम और संपर्क विवरण देने का अनुरोध किया जाता है लेकिन वे अपनी पहचान गोपनीय रखने का निर्णय भी ले सकते हैं। इस (पहचान गोपनीय रखने की) स्थिति में, संचार का एक उपयुक्त साधन तैयार किया जा सकता है जिससे फोन करने वाले को उसकी पहचान उजागर हुए बिना फीडबैक मिल सके।

SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर के संज्ञान में लाए जाने वाले सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के संदिग्ध मामलों की निष्पक्षता से जांच की जाती है। उचित अवसर पर अन्वेषण के परिणाम के संबंध में शिकायतकर्ता अथवा सूचना देने वाले को सूचित किया जाता है।

सर्विसेज की सत्यनिष्ठा

सभी SGS सर्विसेज को सहमत मानकों, विधियों और नीतियों के अनुसार पेशेवर ढंग और ईमानदारी से पूरा किया जाना चाहिए। SGS विवेक की अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखता है और निष्कर्षों को गलत ढंग से दर्शाने के लिए पड़ने वाले दबाव और प्रलोभनों के समक्ष समर्पण नहीं करता अथवा अपने निरीक्षणों, प्रमाणनों, लेखा-परीक्षा अथवा जांच के परिणामों को नहीं बदलता।

सभी निष्कर्षों और परिणामों को सटीकता से प्रलेखित किया जाना चाहिए और इन्हें अनुचित ढंग से नहीं बदलना चाहिए। SGS द्वारा जारी निष्कर्ष और मत सत्य और सटीक जॉब फाइलों और SGS समूह की संगत नीतियों के अनुसार तैयार क्रियाकलाप रिपोर्टों से समर्थित होने चाहिए।

SGS वित्तीय रिकार्डों में दर्ज जानकारी सत्य और निष्पक्ष, समयानुकूल और सटीक होनी चाहिए। सभी लेनदेन को उचित ढंग से और सटीकता के साथ रिकार्ड किया जाना चाहिए और बुक प्रविष्टियां प्रमाणिक पक्षों द्वारा जारी उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

सभी रिकार्ड लागू कानूनों और SGS समूह की नीतियों के अनुसार रखे जाने चाहिए।

वित्तीय रिकार्डों की सत्यनिष्ठा

हितों का टकराव

हितों का टकराव: सामान्य तौर पर

हितों के टकराव अथवा हितों के संभावित टकराव से अवश्य बचा जाना चाहिए। SGS कर्मचारियों को जैसे ही यह पता चले कि उनके व्यक्तिगत हित अथवा उनके निकट संबंधियों अथवा दोस्तों के व्यक्तिगत हित SGS के हितों से टकरा रहे हैं तो उनसे आशा की जाती है कि वे इसकी सूचना तत्काल अपने लाइन मैनेजर (अथवा SGS चीफ कम्प्लॉयंस ऑफिसर) को दें।

हितों का टकराव तब पैदा होता है जब किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत लाभ का अवसर SGS के प्रति उसके निर्णय, निष्पक्षता, स्वतंत्रता अथवा वफादारी को प्रभावित करता है।

यह तब भी लागू होता है जब किसी SGS कर्मचारी के निकट संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों के क्रिया-कलाप अथवा हित SGS के हितों से टकराते हैं। हितों का टकराव कई प्रकार से हो सकता है। यदि कोई संदेह हो तो कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।

कर्मचारियों को ऐसे सभी संभावित टकरावों के बारे में तत्काल लिखित में अपने मैनेजर को सूचित करना चाहिए और हितों के संभावित
टकराव से प्रभावित होने वाली निर्णय-प्रक्रिया से बचना चाहिए।

निकट संबंधी: परिभाषा

किसी कर्मचारी के निकट संबंधियों में शामिल हैं: पति/पत्नी अथवा जीवनसाथी; बच्चे, नाती-पोते; माता-पिता और दादा-दादी; भाई-बहन; बहन-बहनोई/साला-साली; दामाद और बहुएं; और कर्मचारी के साथ रहने वाले अन्य कोई भी व्यक्ति। उचित होने पर, SGS एफिलिएट स्थानीय रीति-रिवाजों को शामिल करते हुए अन्य-रिश्तेदारों को शामिल करते हुए इस सूची बढ़ाकर स्थानीय नीति जारी कर सकते हैं।

पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है

SGS के कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ संभावित हितों के टकराव SGS के पूर्व अनुमोदन और उचित क्लीयरेंस से हल किए जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

SGS के बाहर डायरेक्टरशिप

SGS के बाहर किसी कंपनी के निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में सेवा देने, पेशेवर मण्डल अथवा व्यापार संघ के बोर्ड में सेवा देने अथवा स्थानीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनैतिक पद धारण करने के लिए SGS चीफ कम्प्लॉयंस ऑफिसर का पूर्व अनुमोदन चाहिए। (ऑपरेशन्स कौंसिल के सदस्यों के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट कमेटी का पूर्व अनुमोदन चाहिए)।

SGS के बाहर काम करना

SGS के बाहर दूसरी नौकरी करने अथवा रोजगार करने के लिए एफिलिएट के प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय एचआर प्रबंधक का लिखित पूर्व अनुमोदन चाहिए। तथापि, निम्नलिखित स्थितियों की अनुमति नहीं है: (i) SGS के ऐसे ग्राहक के लिए कार्य करना जिसके लिए कर्मचारी SGS के साथ अपने रोजगार के दौरान सर्विसेज देता है; (ii) SGS के प्रतिस्पर्धी के लिए काम करना; अथवा (iii) SGS को वस्तुएं अथवा सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी के लिए कार्य करना।

निकट संबंधी को नौकरी पर रखना

SGS के मौजूदा कर्मचारी के किसी निकट संबंधी को नौकरी पर रखने के लिए एफिलिएट के प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय एचआर प्रबंधक का लिखित पूर्व अनुमोदन चाहिए। इसके अलावा, ऑपरेशन्स कौंसिल सदस्यों अथवा प्रबंध निदेशकों के निकट संबंधियों और उनको सीधे रिपोर्ट करने वाले लोगों के निकट संबंधियों को नौकरी पर रखने के लिए SGS चीफ कम्प्लॉयंस ऑफिसर का पूर्व लिखित अनुमोदन चाहिए। में, SGS के किसी कर्मचारी को अपने निकट संबंधी के रोजगार की नियम और शर्तों का पर्यवेक्षण करने अथवा उन्हें प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी।

अनुमति नहीं है

SGS कर्मचारियों के हितों के टकराव की कुछ परिस्थितियां निषेध हैं। इनमें शामिल हैं:

सेल्फ डीलिंग

- SGS के किसी ग्राहक अथवा भावी ग्राहक को व्यक्तिगत ढंग से कोई पेशेवर अथवा परामर्शदात्री सर्विसेज प्रदान करना अथवा उनमें भाग लेना।
- SGS से प्रतिस्पर्धा करना अथवा SGS के प्रतिस्पर्धी के लिए कार्य करना।
- SGS में अपने पद का दुरुपयोग अथवा SGS की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना अथवा किसी निकट संबंधी के लिए व्यक्तिगत लाभ हासिल करना।

आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिस्पर्धियों और ग्राहकों में व्यक्तिगत निवेश करना

- SGS के किसी ऐसे आपूर्तिकर्ता अथवा उप-ठेकेदार की जानबूझ कर सर्विसेज प्राप्त करना जिसमें किसी कर्मचारी अथवा उसके निकट संबंधी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से पर्याप्त शेयरधारिता है अथवा अन्य वित्तीय हित हैं, की अनुमति नहीं हैं, बशर्ते: (I) संभावित टकराव कर्मचारी के लाइन मैनेजर को पारदर्शी ढंग से सूचित कर दिया गया है और (II) हित से प्रभावित कर्मचारी खरीददारी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है।
- SGS के आपूर्तिकर्ता, उप-ठेकेदार, प्रतिस्पर्धी अथवा ग्राहक में व्यक्तिगत निवेश करना, बशर्ते शेयरों को सार्वजनिक ढंग से ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त किया गया हो।

कंपनी की परिसंपत्तियों और संसाधनों का इस्तेमाल

कंपनी की परिसंपत्तियों और निधि की सुरक्षा

SGS कर्मचारियों का अपने नियंत्रणाधीन कंपनी की परिसंपत्तियों और निधियों की उपयुक्त ढंग से सुरक्षा और उपयोग करने का कर्तव्य है। SGS की परिसंपत्तियों अथवा संसाधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी रूप में इस्तेमाल अथवा किसी बाहरी पक्ष के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं है।

आईटी संसाधनों का इस्तेमाल

कंपनी के कंप्यूटरों, नेटवर्क सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक संचार टूल्स का SGS नीतियों के अनुसार केवल पेशेवर प्रयोजनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दुरुपयोग का संदेह होने पर ईमेल, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों को SGS द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है और लेखा-परीक्षा की जा सकती है (जब संगत कानून के अंतर्गत स्वीकृत हो)।

खरीद

आपूर्तिकर्ताओं से वस्तु और सर्विसेज खरीदने अथवा उप-ठेकेदार चुनने के प्रभारी SGS कर्मचारियों को आपूर्तिकर्ता की गुणवत्ता और उसकी प्रतिष्ठा को विधिवत सम्मान देते हुए ऐसी सर्विसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। जब भी उपयुक्त हो, आपूर्तिकर्ता अथवा उप-ठेकेदार का चुनाव करने से पहले प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव अवश्य मांगने चाहिए। SGS आपूर्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत पसंद के आधार पर ठेका प्रदान नहीं करता। SGS को सर्विसेज देने के इच्छुक आपूर्तिकर्ता अथवा किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ पाने की मांग करना बिल्कुल निषेध है।

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार

रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार

SGS जिन भी देशों में कार्य करता है वहां किसी प्रकार की रिश्वतखोरी अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कर्मचारियों अथवा SGS की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों के निर्णय प्रभावित करने अथवा SGS के लिए अनुचित लाभ पाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से उन्हें किसी भुगतान का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए अथवा भुगतान नहीं करना चाहिए। ऐसा प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी समान ढंग से लागू होता है।

यदि SGS के किसी कर्मचारी से कोई रिश्वत की मांग करता है तो उसे इसकी सूचना तत्काल अपने लाइन मैनेजर और/अथवा SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर को देनी चाहिए।

कारोबार के लिए कोई भुगतान न करना

SGS अपने लिए कोई कारोबार पाने के प्रयोजन से किसी प्रकार का अनुचित प्रलोभन नहीं देता अथवा न ही इसका प्रस्ताव देता है।

मध्यस्थ और परामर्शदाता

SGS अपनी ओर से रिश्वत, अवैध कमीशन अथवा अनुचित भुगतान का प्रस्ताव देने के लिए थर्ड पार्टी की सर्विसेज नहीं लेता।

SGS ऐसे मध्यस्थों, एजेंटों, परामर्शदाताओं, साझेदारों, संयुक्त-उद्यम साझेदारों अथवा परामर्शदाताओं की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करता जहां इसे संदेह हो कि ऐसे साझेदार भ्रष्ट अथवा अन्य अवैध व्यापार कृत्यों में शामिल हो सकते हैं। मध्यस्थ अथवा बिक्री एजेंट की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए यथोचित छानबीन प्रक्रिया पूरी किए बिना और यह पता लगाए बिना कि ऐसे मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान का पारिश्रमिक उसकी सर्विसेज के अनुकूल है अथवा नहीं, उसकी सर्विसेज प्राप्त नहीं की जाती। मध्यस्थ को काम पर रखने के अनुरोध का SGS ऑपरेशन्स कौंसिल के किसी सदस्य द्वारा अवश्य समर्थन और SGS प्रोफेशनल कंडक्ट कमेटी द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। मध्यस्थ को इस संहिता की एक प्रति अवश्य दी जानी चाहिए, उसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसकी सूचना देनी चाहिए और SGS के साथ अपने संबंधों के सभी पहलुओं में इसके सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत होना चाहिए। किसी मध्यस्थ के इस्तेमाल का प्रबंधन करने वाले SGS के कर्मचारी उनके (मध्यस्थों) द्वारा संहिता के अनुपालन की नियमित निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

सुविधा सेवा भुगतान

सुविधा सेवा भुगतान किसी निचले लेवल के सरकारी अधिकारी द्वारा नियमित कार्य का निष्पादन जल्द करने अथवा उसमें सहायता करने के प्रयोजन से उसे किया जाने वाला भुगतान है, जिसका SGS कानूनी ढंग से पात्र है। अधिकारियों द्वारा सुविधा भुगतान की मांग का कड़ाई से विरोध होना चाहिए और इसका भुगतान केवल तभी होना चाहिए जब इनकार करना कर्मचारी के कल्याण के लिए नुकसानदेह अथवा इससे SGS के कारोबार को पर्याप्त जोखिम हो।

सूचना देना और लेखांकन

यदि विरली परिस्थितियों में सुविधा शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान करने वाले अथवा उसे अधिकृत करने वाले कर्मचारी द्वारा कारणों की लिखित में सूचना देनी चाहिए कि भुगतान करना अपरिहार्य क्यों था, भुगतान की राशि, भुगतान कब और किसने प्राप्त किया। सुविधा भुगतानों का लेखांकन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा की जा सके। स्थानीय प्रथाओं और कानूनों के आधार पर, SGS एफीलिएट ऐसे सुविधा भुगतान करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और प्रतिबंधात्मक नियम क्रियान्वित कर सकता है अथवा कर्मचारियों को ऐसे सुविधा भुगतान करने से प्रतिबंधित भी कर सकता है।

रिश्वत का भुगतान करने से इनकार करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना

रिश्वत का भुगतान करने से इनकार करने, भ्रष्टा प्रथाओं में लिप्त होने से इनकार करने अथवा सुविधा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने के लिए SGS के किसी भी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जाएगा।

राजनैनिक चंदा और धर्मार्थ योगदान

राजनैतिक अथवा धार्मिक चंदा न दिया जाना

SGS जिस भी देश में कार्य करता है उस देश की राजनैतिक प्रक्रिया में तटस्थत की कठोर नीति का समर्थन करता है। SGS किसी राजनैतिक दल, चयनित पदाधिकारी अथवा किसी भी देश में सार्वजनिक पद के उम्मीदवार को धनराशि अथवा संसाधन नहीं देता और किसी राजनैतिक अभियान का समर्थन नहीं करता। SGS किसी धार्मिक संगठन का समर्थन नहीं करता।

धर्मार्थ चंदा

SGS जिन समुदायों में कार्य करता है उनमें धर्मार्थ संगठनों को दान अथवा अलाभकारी संगठनों में प्रत्यक्ष निवेश (किसी प्राकृतिक आपदा के बाद आपातकालीन राहत प्रयासों में सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, अनुसंधान अथवा इसी प्रकार के अलाभकारी निवेश सहित) के लिए संबंधित क्षेत्र के उत्तरदायी SGS चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पूर्व लिखित अनुमोदन चाहिए। CHF 10,000 से अधिक के धर्मार्थ चंदों के लिए SGS प्रोफेशनल कंडक्ट कमेटी का पूर्व अनुमोदन चाहिए।

ऐसे किसी भी धर्मार्थ चंदे का अनुमोदन नहीं किया जाएगा जो सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अथवा SGS को अनुचित लाभ प्रदान करने की मंशा से दिया जा रहा हो अथवा दिया जाना प्रतीत होता हो।

उपहार और मनोरंजन

सामान्य सिद्धांत

ऐसा कोई भी उपहार, आतिथ्य अथवा मनोरंजन प्रदान अथवा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जो कारोबारी निर्णयों को अनुचित ढंग से प्रभावित करते हों अथवा उनसे अनुचित प्रभाव पड़ना प्रतीत होता हो।

उपहार, आतिथ्य और मनोरंजन सामान्यी कारोबारी संबंधों से अधिक नहीं होना चाहिए। मनोरंजन का ऐसा कोई भी प्रकार जो SGS की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह हो, उससे बचना चाहिए। निम्नलिखित नियम SGS कर्मचारियों के व्यवहार के अपेक्षित मानकों को स्पष्ठ करते हैं।

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एफीलिएट अपने कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और प्रतिबंधात्मक नीतियां लागू कर सकते हैं।

SGS के कर्मचारियों को पेश किए जाने वाले उपहार

SGS के कर्मचारियों को इन्हें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए:

- आपूर्तिकर्ता अथवा ग्राहकों से नकद, टिप्स, ऋण अथवा नकद के समकक्ष उपहार।
- SGS द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के संबंध में प्रदान किए जाने वाले कोई भी उपहार, अनुग्रह, मनोरंजन अथवा आतिथ्य।
- खरीद अथवा आपूर्तिकर्ताओं के चयन के निर्णय में शामिल कर्मचारियों को आपूर्तिकर्ता अथवा भावी आपूर्तिकर्ता द्वारा पेशकश किए जाने वाले व्यक्तिगत उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित सामान्य आतिथ्य और मनोरंजन, जिनमें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित ट्रेड फेयर (व्यापार मेले) और इसी प्रकार के पेशेवर कार्यक्रम शामिल हैं, में भाग लेना रिपोर्टिंग और स्वीकृति के अध्यधीन स्वीकार्य है।

रिपोर्टिंग और स्वीकृति दायित्व

कर्मचारियों को CHF 100 से अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार करने से पूर्व SGS एफीलिएट के प्रबंध निदेशक को सूचना देकर पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। CHF 500 मूल्य से अधिक के उपहार के लिए उन्हें SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर से अनुमोदन अवश्य प्राप्त करना होगा।

यदि प्राप्त उपहार से बिना कोई उल्लंघन किए इनकार न किया जा सकता हो अथवा उसे लौटाया न जा सकता हो तो उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निपटान का उपयुक्त तरीका चुनना चाहिए, उदाहरण के लिए इसे चुने गए धर्मार्थ संस्थान को दान कर देना।

SGS द्वारा कारोबारी संबंध वाले लोगों को उपहार देना

SGS द्वारा ग्राहकों अथवा कारोबारी संबंध वाले लोगों को CHF 100 से अधिक मूल्य का उपहार देने के लिए SGS एफिलिएट के प्रबंध निदेशक का पूर्व अनुमोदन चाहिए, इसके अलावा, CHF 500 से अधिक मूल्य के उपहार के लिए SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर का अनुमोदन चाहिए।

SGS प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेने, SGS प्रचालनों का दौरा करने, सरकारी अधिकारियों अथवा कारोबारी भागीदारों के यात्रा और आवास का भुगतान करने के लिए ऑपरेशन्स कौंसिल के दो सदस्यों (सैद्धांतिक ढंग से एक COO और एक EVP) का पूर्व अनुमोदन चाहिए। यदि ऐसी यात्रा अथवा आवास की लागत CHF 10,000 के समकक्ष मूल्य से अधिक हो तो SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर का अनुमोदन चाहिए।

उचित प्रतिस्पर्धा

SGS प्रतिस्पर्धात्मक और उचित बाजार प्रथाओं का इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार करता है। यह जिस बाजार में कार्य करता है उसमें पक्षपातपूर्ण अथवा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धियों से कोई समझौता अथवा करार नहीं करता।

विशेष ढंग से, SGS मूल्यों, अनुबंध की शर्तों, बाजार आवंटन, क्षेत्रों के विभाजन अथवा ग्राहकों के संबंध में चर्चाएं नहीं करता। SGS प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं करता।

SGS अपनी सर्विसेज और क्षमताओं का कपटपूर्ण और भ्रामक तरीके से विपणन नहीं करता और प्रतिस्पर्धियों के संबंध में अपमानजनक अथवा झूठे आरोप नहीं लगाता।

SGS अवैध अथवा अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धियों के बारे में गोपनीय जानकारी नहीं प्राप्त करता।

प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने वाले कानून जटिल हैं और ये एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग होते हैं। SGS के कानूनी संसाधनों से सलाह अवश्य ली जानी चाहिए।

कर्मचारी संबंध

कोई भेदभाव नहीं

सभी SGS कर्मचारियों के साथ उनके जॉब संबंधी कौशलों, योग्यताओं, व्यवहार और निष्पादन के आधार पर व्यवहार और इन्हीं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। SGS रोजगार के सभी संबंधों को जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक झुकाव, संघ की सदस्यता, राष्ट्रीयता, लैंगिक रुझान, सामाजिक उद्गम, आयु अथवा विकलांगता को ध्यान में न रखते हुए समान अवसर के सिद्धान्त पर आधारित करता है। इन मानदण्डों के आधार पर भेदभाव सहन नहीं किया जाता।

डराना-धमकाना और यौन शोषण

किसी भी प्रकार का शोषण, उत्पीड़न और डराना-धमकाना निषेध है। अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के अनुरोध अथवा गलत तरीके से
शारीरिक स्पर्श सहन नहीं किए जाते। सभी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे अपने सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें।
कर्मचारियों को अपने स्टाफ के सदस्यों, सहकर्मियों और मैनेजमेंट के साथ कार्य करते समय हमेशा ईमानदार और सम्मानपूर्ण अवश्य रहना चाहिए। ये तथ्य SGS के ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, उनके कर्मचारियों के लिए भी लागू होते हैं।

बाल मजदूरी अथवा जबरन मजदूरी का निषेध

SGS अनिवार्य शिक्षा पूरी करने से कम आयु के बच्चों अथवा किसी भी परिस्थिति में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखता। यदि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा भी जाता है तो उन्हें ऐसे कार्यों से बचाया जाता है जिनसे उनके स्वास्थ्य, कल्याण, सुरक्षा अथवा शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हों।

SGS किसी भी प्रकार की दासता, बच्चों की बिक्री अथवा अवैध व्यापार, ऋण बंधन अथवा दासता, जबरन अथवा अनिवार्य श्रम में लिप्त नहीं होता। SGS किसी भी परिस्थिति में किसी जबरन, बंधुआ अथवा जेल श्रमिकों का इस्तेमाल नहीं करता।

संघ बनाने की आजादी

SGS अपने कर्मचारियों के संघ बनाने और सामूहिक ढंग से मोलभाव करने के अधिकार को मान्यता देता है। जिन परिस्थितियों में संघ बनाने अथवा सामूहिक ढंग से मोलभाव करने की आजादी का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित होता है, SGS निष्पक्ष संघ और मोलभाव करने के समानान्तर साधन मुहैया कराने में मदद करता है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के पास अपने प्रतिनिधि कार्य करने का आवश्यक समय और सुविधाएं होती हैं।

आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों द्वारा अनुपान

SGS ऐसे आपूर्तिकर्ता अथवा उप-ठेकेदारों का इस्तेमाल नहीं करता जो जबरन मजदूरी अथवा बाल मजदूरी का इस्तेमाल करते हैं और SGS यह सुनिश्चित करने का यथोचित परिश्रम और निगरानी करता ह कि आपूर्तिकर्ता और उपठेकेदार इस अपेक्षा का अनुपालन करें।

पर्यावरण, स्वस्थ्य और सुरक्षा

Iपर्यावरण

SGS प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर, प्रदूषण को कम और उसकी रोकथाम करके और नुकसानदेह पदार्थों के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम करके पर्यावरण पर अपने क्रिया-कलापों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

चोट और पेशेवर अस्वस्थताओं को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाकर कर्मचारियों को काम करने का सुरक्षित माहौल, परिस्थितियां और
उपकरण अवश्य मुहैया कराए जाने चाहिए।

SGS के कर्मचारियों को SGS की नीतियों अथवा संगत कानूनों की अपेक्षानुसार कार्य से संबंधित दुर्घटना अथवा प्रदूषण की घटना की सूचना देनी चाहिए और उसे रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए। किसी दुघ्मनटठा अथवठा नरदूनषण की घनटठा की सूनचठा देने पर किसी भी कम्मचठारी को दण्डित नहीं कियठा जठाएगठा।

गोपनीयता

SGS ग्राहकों और थर्ड पार्टियों द्वारा कारोबार के दौरान सौंपी गई गोपनीय जानकारी का सम्मान और उसकी सुरक्षा तथा दुर्घटनावश होने वाले प्रकटीकरण को रोकने के लिए उचित उपाय करता है।

SGS अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी की निजता और गोपनीय प्रकृति का सम्मान करता है। SGS अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और कारोबारी भागीदारों के व्यक्तिगत डेटा केवल अपने कारोबार के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक अथवा कानूनी अपेक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता की हद तक ही एकत्र करता है। किसी भी कर्मचारी को वैध कारोबारी प्रयोजन को छोड़कर व्यक्तिगत अथवा गोपनीय डेटा तक एक्सेस की मांग नहीं करनी चाहिए।

कर्मचारियों को SGS की जानकारी और सहकर्मियों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता को अवश्य बनाए रखना चाहिए और SGS के वित्तीय निष्पादन, निवेश, रणनीतियों, योजनाओं अथवा ग्राहकों के बारे में किसी भी संवेदनशील जानकारी को प्रकट नहीं करना चाहिए अथवा इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह दायित्व रोजगार संबंध समाप्त होने के बाद भी जारी रहता है।

बौद्धिक संपदा

SGS अपनी स्वयं की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करता है और अन्य की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है।

अपने कर्मचारियों के कार्य और नवाचार की क्षमता के माध्यम से, SGS मूल्यवान विचार, सर्विसेज, कारोबारी प्रक्रियाएं और रणनीतियां उत्पन्न करता है। यह बौद्धिक संपदा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके प्रसार और दुरुपयोग को अवश्य रोका जाना चाहिए।

SGS की बौद्धिक संपदा प्रक्रियाओं, डिजाइनों, विधियों, प्रचालन प्रक्रियाओं, वाणिज्यिक और विपणन रणनीतियों, ग्राहकों की जानकारी, मूल्य और लागत मॉडलों सहित अनेक रूपों में हो सकती है। कर्मचारियों को इस बौद्धिक संपदा को इसके इच्छित प्रयोजन के अलावा प्रकट, कॉपी अथवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

कर्मचारियों को भी ग्राहकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संपर्क में आने पर इस स्तर की सावधानी बरतनी चाहिए।

SGS जानबूझ कर किसी थर्ड पार्टी की बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं करता। बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, कॉपीराइट सामग्री को बिना प्राधिकार के इस्तेमाल करना अथवा उसका पुनरुत्पादन करना अथवा जानबूझ कर वैध पेटेंट का उल्लंघन करना निषेध है।

बाह्य संचार

SGS सार्वजनिक ढंग से ट्रेड की जाने वाली कंपनी है और निवेषकों की समय पर और जानकारीयुक्त निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रकटीकरण दायित्वों के अध्यधीन है। SGS अपने कारोबार और क्रिया-कलापों के बारे में अपने शेयरधारकों, बाजार और जनता को सुसंगत, सटीक, पारदर्शी और स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। शेयरधारकों, निवेशकों, मीडिया और जनता को SGS के संबंध में, इसके कारोबार और वित्तीय निष्पादन के संबंध में संचार केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

कोई भी कर्मचारी विशिष्ट ढंग से अधिकृत किए बिना SGS की ओर से नहीं बोलेगा, मीडिया, वित्तीय विश्लेषकों, वर्तमान अथवा भावी निवेशकों के समक्ष SGS के बारे में किसी जानकारी पर चर्चा नहीं करेगा अथवा प्रकट नहीं करेगा अथवा SGS की ओर से कोई सार्वजनिक वक्तव्य जारी नहीं करेगा।

धर्म और राजनीति के बारे में व्यक्तिगत राय, अथवा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को SGS के लेटरहैड पर, ईमेल में अथवा किसी अन्य संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी राय अथवा सामग्री का SGS से आशय लगाया जाता हो।

ऑनलाइन चर्चा फोरम और सोशल मीडिया में भाग लेते समय, SGS के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा संहिता और SGS की सोशल मीडिया पॉलिसी का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।

भीतरी लेन-देन

कर्मचारियों को SGS के, इसके ग्राहकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में गैर सार्वजनिक सूचना के आधार पर कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं करना चाहिए अथवा कारोबार अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

ऐसे कर्मचारी जिनके पास ऐसी भीतरी जानकारी है जिसके प्रकट होने पर SGS के शेयर मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता हो, के आधार पर SGS के शेयरों, ऑप्शन्स और SGS द्वारा जारी अन्य सिक्युरिटी में निवेश करने से प्रतिबंधित हैं। यदि किसी जानकारी को स्टॉक एक्सचेंज विनियमों के अनुसार SGS द्वारा आधिकारिक ढंग से जारी नहीं किया गया है तो यह गैर-सार्वजनिक सूचना है।

भीतरी जानकारी में विशिष्ट ढंग से गैर-सार्वजनिक वित्तीय परिणाम, समूह की प्रारूप रणनीतिक योजनाएं, अधिग्रहण और विलय संबंधी प्रस्ताव, और वरिष्ठ प्रबंधन में नियोजित बदलाव शामिल है। इस श्रेणी में आने वाले किसी भी लेनदेन को करने से पहले SGS के कानूनी संसाधनों से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए।

अपने कारोबार के दौरान SGS को ग्राहकों अथवा थर्ड पार्टियों के बारे में कभी-कभी महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी मिलती है। कर्मचारियों के पास ऐसी गोपनीय जानकारी उपलब्ध होने की स्थिति में वे ग्राहकों अथवा ऐसे थर्ड पार्टियों के शेयरों में निवेश करने से प्रतिबंधित होते हैं।

It is forbidden to pass any such information, or give investment tips to third parties or close relatives on the basis of insider knowledge obtained in the course of employment with SGS.

SGS में नौकरी के दौरान प्राप्त हुई भीतरी जानकारी के आधार पर तीसरे पक्षों अथवा निकट संबंधियों को निवेश की सलाह देने की मनाही है।

कानूनों का अनुपालन

SGS जिन देशों में कारोबार करता है वहां के लागू कानूनों का पालन करता है। SGS के क्रिया-कलापों के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले कानून जटिल हो सकते हैं। कर्मचारियों को SGS और व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए लागू होने वाले नियमों के बारे में जानना चाहिए। यदि कोई संदेह हो, तो SGS के कानूनी संसाधनों से कानूनी सलाह लेनी चाहिए। कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं होगा।

जब यह संहिता अथवा SGS नीतियां लागू कानूनों द्वारा अधिदेशित मानकों से अधिक कठोर मानक तय करती हैं तो कर्मचारियों को अधिक कठोर मानकों का पालन करना चाहिए। यदि इस संहिता और लागू कानूनों के बीच विरोधाभास का समाधान करने के संबंध में कोई संदेह हो तो कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए।

SGS के कारोबार के दौरान, SGS से संबंधित किसी जांच के संबंध में नियामक एजेंसियां अथवा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। सूचनाओं अथवा दस्तावेज़ों के गैर-नियमित अनुरोध की स्थिति में, कर्मचारियों को SGS के कानूनी संसाधनों से सलाह लेनी चाहिए। SGS की ओर से कार्यरत व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में साक्ष्य भटकाने, छिपाने, दस्तावेज नष्ट करने अथवा अन्यथा किसी वैध अन्वेषण में बाधा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

क्रियान्वयन

सत्यनिष्ठा संहिता को ऑपरेशन्स कौंसिल और SGS के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक मण्डल की प्रोफेशनल कंडक्ट कमेटी संहिता के उल्लंघन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्राप्त करती है और वह संहिता के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती है।

यह संहिता फरवरी, 2012 से लागू है और इसने 2004 के पुराने संस्करण को प्रतिस्थापित कर दिया है।

SGS के एफिलिएट SGS चीफ कम्पलॉयंस ऑफिसर के पूर्व लिखित अनुमोदन से, इस संहिता में शामिल क्षेत्रों के संबंध में अधिक विस्तृत अथवा प्रतिबंधात्मक नीतियां अपनाने के लिए अधिकृत हैं।

संपर्क जानकारी

अनुपालन संपर्क

1 place des Alpes

P.O. Box 2152

CH – 1211 Geneva 1

t +41 (0)22 739 91 00

f +41 (0)22 739 98 81

integrityhelpline.sgs.com

www.sgs.com

हमारी सत्यनिष्ठा संहिता में रचनात्मक योगदान देने के लिए सभी कर्मचारियों और स्टेकहोल्डरों का विशेष धन्यवाद।

WWW.SGS.COM

© SGS Group Management SA – 2020 – All rights reserved - SGS is a registered trademark of SGS Group Management SA

WHEN YOU NEED TO BE SURE